



AIIMS/Rajkot/Admin/Circular/2024-25/1887

Date: 13 April, 2024

परिपत्र

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) में आयकर व्यवस्था का चयन करने के संबंध में-

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय विधेयक, 2023 में वित्तीय वर्ष 2024-25 (वार्षिक वर्ष 2025-26) में कुल आय के संबंध में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का निर्धारण करने के लिए 'नई कर व्यवस्था' को 'डिफॉल्ट विकल्प' के रूप में बनाया है।

"हालांकि, जो कर्मचारी "पुरानी कर व्यवस्था" चुनने के इच्छुक हैं या अपनी "पुरानी कर व्यवस्था" जारी रखना चाहते हैं, उन्हें अपना आवेदन लेखा अनुभाग, एम्स राजकोट को प्रस्तुत करना होगा।" यह भी सूचित किया जाता है कि कर व्यवस्था में परिवर्तन/चयन एक बार की प्रक्रिया है। एक बार जब किसी कर्मचारी ने पुराने/नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, तो वह उस विशेष वित्तीय वर्ष में इसे नहीं बदल सकता है।

निम्नलिखित निर्देशों जिनका अनुपालन प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किया जाएगा जो 'पुरानी कर व्यवस्था' का विकल्प चुनने के इच्छुक हैं:-

- सुचारू और परेशानी मुक्त प्रशासनिक कार्यक्षमता के लिए कर्मचारियों को बचत प्रपत्र (फॉर्म नंबर 12बीबी) में अपने निवेश के साथ अनुबंध 1 के साथ संलग्न प्रारूप में 'पुरानी कर व्यवस्था' के लिए अपना आवेदन 25 अप्रैल, 2024 तक जमा करना होगा।
- इसके अलावा, कर्मचारियों को 15 जनवरी 2025 तक अपने अपेक्षित सहायक दस्तावेज/रसीदें जमा करनी होंगी। अपेक्षित सहायक दस्तावेजों के अभाव में, कोई कर लाभ नहीं दिया जाएगा और तदनुसार कर की कटौती की जाएगी।
- संकायों, नर्सिंग अधिकारियों, तकनीकी कर्मचारियों और अन्य लोगों को भुगतान किए जाने वाले विभिन्न भत्ते, जैसे कि शैक्षणिक भत्ता, पोशाक भत्ता, समाचार पत्र भत्ता आदि, किए गए व्यय की सीमा तक छूट के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें अनुलग्नक II के साथ संलग्न प्रारूप में उपयोगी प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- सभी निवेश और बचत वर्तमान वित्तीय वर्ष (अर्थात, 2024-25) से संबंधित होनी चाहिए।
- पुरानी और नई कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध कर, कटौती और छूट की दरों की तुलना के लिए, संस्थान के पिछले परिपत्र एम्स/राजकोट/परिपत्र/2023-24/1412 दिनांक 20.04.2023 का पालन किया जाएगा।

इसके अलावा, कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे मूल प्रति बिलों को आयकर प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के हेतु सुरक्षित रखें, जब भी मांगा जाए। आयकर विभाग किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित करों की वसूली/जुर्माना सहित नियमों के अनुसार शुरू की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

कर्नल पुनीत कुमार अरोड़ा
उप निदेशक (प्रशासन), एम्स राजकोट

प्रतिलिपि -

- कार्यकारी निदेशक, एम्स राजकोट
- सभी विभागाध्यक्ष, एम्स राजकोट
- प्रशासनिक अधिकारी, एम्स राजकोट
- उप चिकित्सा अधीक्षक, एम्स राजकोट
- प्रभारी आईटी सेल एम्स राजकोट की वेबसाइट पर अपलोड एवं ईमेल के माध्यम से सभी स्टाफ सदस्यों को प्रसारित करने हेतु

